#### HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

(Division Bench)

### Writ Appeal No.446/2020

Smt. Rekha Singh

VS.

## State of Madhya Pradesh & others

.....

Shri Sunil Kumar Pandey, learned counsel for the appellant.

Shri A.Rajeshwar Rao, learned Government Advocate for the State of Madhya Pradesh and its functionaries.

Shri Shailendra Verma, learned counsel for respondent No.6.

\_\_\_\_\_

#### CORAM:

Hon'ble Shri Justice Sanjay Yadav.

Hon'ble Shri Justice B. K. Shrivastava.

-----

Per: Sanjay Yadav, J.

### ORDER

## **Jabalpur, dated 30.04.2020**

This Appeal under Section 2(1) of the M.P. Uchcha Nyayalaya (Khand Nyayapeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 is directed against order dated 05.03.2020 passed in Writ Petition No.1755/2011.

2. The Writ Petition at the instance of appellant was directed against the order dated 20.01.2011 passed by Additional Commissioner, Rewa Division, Rewa.

- 3. The controversy relates to the appointment of Anganwadi Worker, Anganwadi Centre Lohadwar, Tehsil Raipurkarchuliyan, District Rewa.
- 4. That applications for the said appointment were invited in August 2009. The last date for submitting the applications was 17.08.2009 from incumbents possessing the following qualifications:

# ''अ-1 आंगनबाडी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताएं-

आंगनबाडी कार्यर्ता हेतु चयनित की जाने वाली महिला की निम्नानुसार अनिवार्य अर्हताएं होनी चाहिए:—

(1)— आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष की होना चाहिए।

आंगनबाडी कार्यकर्ता के लिये जिस केलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना हो उस केलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2)— आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिय।

ग्राम/नागरीय क्षेत्र के वार्ड में सीयी निवासी के प्रमाण के लिये राशन कार्ड/संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची/अद्यतन बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने पर उसके पित का नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है।

# (3)— शैक्षणिक योग्यता—

नगरीय एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अभ्यार्थी अनिवार्यतः हायर सेकेण्डरी (10 2की बोर्ड अथवा 11 वीं बोर्ड) अत्तीर्ण होना चाहिये।

आदिवासी क्षेत्र में महिला अभ्यार्थी अनवार्यतः न्यूनतम आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

- (4)— चयनित की जाने वाली आंगनबाडी कार्यकर्ता को ना तो स्वंय सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अथवा पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य होना चाहिये। ना ही चयन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वालों की सगे संबंधी होना चाहिये।
- सगे संबंधितयों से अभिप्राय माता पिता, भीई बहन, पति पत्नी, पुत्र, पुत्री, एवं पुत्र—वधु।''
- 5. Besides appellant and respondent No.6, 14 more applicants applied for the post. Respective applications were scrutinized by the Selection Committee, whereon, one Smt. Pramila Pandey was found eligible for appointment as Anganwadi Worker; whereagainst, objection was filed by the present appellant. Considering the same, respondent No.6-Smt. Sita Devi was found eligible, accordingly, was appointed as Anganwadi Worker, Anganwadi Centre Lohadwar, Tehsil Raipurkarchuliyan, District Rewa. Her appointment was challenged by present appellant before Collector, Rewa on the ground that respondent No.6 i.e. Smt. Sita Devi is a married woman residing at her matrimonial home at Kanji, Tehsil Sirmour, District Rewa. Being a permanent resident of Kanji, Sirmour, she was not eligible for being considered for appointment to the post of Anganwadi Worker at Anganwadi Centre Lohadwar, Tehsil Raipurkarchuliyan, District Rewa.
- 6. The objection raised by the appellant found favour with the Collector who by his order dated 18.10.2010 set-aside the order dated 17.02.2010. The Collector found:

- मैने उभय पक्षों के तर्को पर विचार तथा प्रकरण का उवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि रेस्पा0 क्रमांक एक ह ारा जिला समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किया था कि मै लोहदवार की सीायी निवासी हूँ जिस पर जिला समिति ने विचारोपरान्त पाया कि रेस्पा0 क्रमांक एक ग्राम लोहदवार की स्थायी निवासी है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थिया द्वारा अपील प्रस्तुत की गई ह। तथा प्रस्तुत अपील के साथ रेस्पा0 क्रमांक एक का नाम मतदाता सूची वर्ष 2004 जनपद पंचायत सिरमौर के ग्राम पंचायत खड्डाके सरल क्रमांक 1813 में दर्ज होने की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत खड्डा जनपद पंचायत सिरमौर में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के अधीन जारी किया गया जांब कार्ड क्रम संख्या 307,308 जिसका नम्बर एम.पी. -13-003-055-002/108 दिनांक 01.04.2007 में अंकित रेस्पा0 क्रमांक एक एवं उसे पति का नाम की छायाप्रति प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन जिला समिति द्वारा किया जाना नहीं पाया गया। रेस्पा० क्रमांक एक के पिता का ग्राम लोहदवार होना पाया जा सकता है किन्तु रेस्पा० क्रमांक एक विवाह ग्राम कंजी जनपद पंचायत सिरमीर में हो जाने के बाद वह ग्राम लोहदवार की स्थायी निवासी नहीं मानी जा सकती। म०प्र० शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र0 स्था0/3-2/06/50-2 भोपाल, दिनांक 10.07.2007 में दिये गये दिशा निर्देश अनुसार (अ) आंगनवाडी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताऐं— की कण्डिका 2 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम / नगरीय क्षेत्र के वार्ड के स्थायी निवासी के प्रमाण के लिये राशन कार्ड / संबंधित ग्राम / नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची / अद्यतन बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए।
- 8. रेस्पा० क्रमांक एक ग्राम कंजी जनपद पंचायत सिरमौर की स्थायी निवासी है या ग्राम लोहदवार तहसील, सिमौर की स्थायी निवास है, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रीवा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी उक्त आपत्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रीवा ने मूलतः आपत्ति तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चु० की ओर भेजकर कराई गई किन्तु उक्त प्रतिवेदन आने के बाद जिला समिति ने क्या निर्णय लिया, प्रकरण में ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध होना नहीं पाया जाता। अधीनस्थ कार्यालय के प्रकरण में तहसीलदार, तहसील रायपुरकर्चु०

के जांच प्रतिवेदन संलग्न है, सिमें प्रतिवेदित किया है राजस्व निरीक्षक रामपुरकर्चु0 एवं सरपंच, ग्राम पंचायत लोहदवार के प्रतिवेदन अनुसार एवं विधान सभा क्षेत्र गुढ़ के निर्वाचन मतदाता सूची में नाम दर्ज न होना एवं ग्राम पंचायत खड़्डा के मतदाता सूची के सरल क्रमांक 1807 में रेस्पा0 क्रमांक एक के पित का नाम एवं सरल क्रमांक 1813 में रेस्पा0 क्रमांक एक का नाम अंकित है। जिससे पाया जाता है कि श्रीमती सीतादेवी पित कमलेश मिश्रा वर्तमान में ग्राम लोहदवार में निवास नहीं कर रहे हैं। एवं ग्राम लोहदवार के निवासी नहीं हैं। रेस्पा0 क्रमांक एक के विव्दान अधिवक्ता ने अपील प्रकरण में तर्क के समय प्रस्तु किये गये अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुरकर्चु0 के न्यायालय का आदेश दिनांक 25.05.2010 की छायाप्रति के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार, तहसील रायपुरकर्चु0 का जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.03. 2010 को एक पक्षीय तौर पर कार्यवाही करते हुए त्रुटिपूर्ण पाया गया है।"

- 7. Consequently, while setting aside the appointment of respondent No.6-Smt. Sita Devi, the matter was remitted to the Project Officer–Integrated Women and Child Development Department, Raipurkarchuliyan, District Rewa to prepare fresh list on the basis of applications received in accordance with the policy of the State. Consequent whereof, the present appellant was appointed as Anganwadi Worker, Anganwadi Centre Lohadwar, Tehsil Raipurkarchuliyan, District Rewa by order dated 25.10.2010.
- 8. That, respondent No.6 challenged the order passed by the Collector before Commissioner questioning its validity on the ground that the Collector has glossed over the facets of the case. It was stated that Collector erred in not taking into consideration the

voter list of respective villages, bonafide resident certificate issued by Tehsildar and BPL Card held by her husband.

- **9.** The Appellate Authority i.e. Additional Commissioner, Rewa Division, Rewa by his order dated 20.01.2011 set-aside the order passed by the Collector and restored the appointment of respondent No.6 on the following findings:
  - प्रकरण का तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि अपीलार्थिया की नियुक्ति परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना रायपुर कर्चुलियान द्वारा मैरिट के अधार पर तथा ग्राम लोहदवार की स्थायी निवासी पाकर की गई है। उत्तरवादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर रीवा के यहाँ मुख्य रूप से ये इस अधार पर अपील प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थिया का स्थाई निवास ग्राम कंजी जनपद पंचायत सिरमौर है लोंहदवार नहीं। अपीलार्थिया के पति कमलेश कुमार मिश्रा का निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा प्रकरण क्रमांक 275/बी-121/06-07 आदेश दिनांक 07.03.07 से जारी किया गया है जो नियुक्ति दिनांक के पूर्व का है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर कर्चुलियार द्वारा दिनांक 12.08.09 को गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र विहित प्रारूप में जारी किया गया जिसमें ''प्रमाणित किया जात है कि आवेदक कमलेश पिता रामलखन मिश्रा ग्राम लोंहदवार का निवासी है। गरीबी रेख के नीचे जीवन यापन करने संबंधी सर्वे सूची 02-03 के क्रमांक 101 / लोंहदवार में अवेदक स्वयं मुखिया का नाम दर्ज है।" उल्लिखित है। अपीलार्थिया के पति के नाम ग्राम लोंहदवार का राशनकार्ड तथा भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड प्रस्तृत किया गया है। अपीलार्थिया के स्थाई निवासी होने के संबंध में ग्राम पंचायत लोंहदवार के लगभग 40 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामें में यह लेख किया गया है कि कमलेश कुमार मिश्रा पिता रामलखन मिश्रा ग्राम लोंहदवार के स्थाई निवासी हैं तथा उनका एवं उनके चाचा का कच्चा / पक्का मकान भी बना है। कमलेश कुमार के पिता के नाम दर्ज भूमियों का खसरा प्रस्तुत किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थिया के सस्र तथा बाबा सस्र ग्राम लोंहदवार के प्रतीनी

निवासी है। सरपंच ग्राम पंचायत लोंहदवार द्वारा दिनांक 09.02.10 को प्रमाण पत्र जारी करते हुए सीता देवी पति कमलेश कुमार मिश्रा को ग्राम पंचायत लोहदवार का सीई निवासी उल्लिखित कर प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों का प्रमाणीकरण किया है।

- राजस्व नीरीक्षण मण्डल रामपुर कर्चुलियान द्वारा दिनांक 08. 03.10 स्थल पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार किया गया था जिसमें अपीलार्थिया के पति एवं उसके ससुर का घर एवं नाम ग्राम लोंहदवार में न होने तथा ग्राम कंजी जनपद पंचायत सिरमौर में होने का उल्लेख किया है जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा गाँव के व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन तैयार किया गया। उसी प्रतिवेदन के विरूद्ध ग्राम लोंहदवार के ही कुछ लोगों द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें लक्ष्मण प्रसाद सेन पिता दद्दी प्रसाद सेन, मानिकलाल पिता छोटेलाल कोल द्वारा यह शपथ किया गया है कि हनुमान प्रसाद साकेत नाम कोई भी व्यक्ति ग्राम लोंहदवार में नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.03.10 को जो पंचनामा तैयार किया है वह फर्जी है। इसी प्रकार छोटेलाल कोल उम्र 60 वर्ष द्व ारा यह शपथ किया गया है कि मै हस्ताक्षर नहीं करता, मै पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए है। अनिल कुमार मिश्रा पिता हरिनारायण मिश्रा द्वारा भी यह लेख किया गया है कि श्यामलाल प्रजापति नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम लोंहदवार थाना रामपुर कर्चुलियान में नहीं है।
- 6. प्रकरण के समग्र परिशीलनसे स्पष्ट हे कि अपीलार्थिया का नाम ग्राम पंचायत लोंहदवार में नियुक्ति दिनांक के पूर्व से दर्ज है। ग्राम कंजी जनपद पंचायत सिरमौर में अपीलार्थिया के ससुर की पाही होने से उनके वारिसों का नाम दर्ज हो गया था तत्संबंध में अपीलार्थिया के पति कमलेश कुमार मिश्राा द्वारा दिनांक 04 मार्च 2009 को ग्राम कंजी की मतदाता सूची से नाम काटने हेतु निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया जा चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा उक्त के संबंध में दिया गया आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसे निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत अपील स्वीकार कर परियोजना अधिकारी रायपुर कर्चुलियान का नियुक्ति आदेश दिनांक 17.02. 10 यथावत रखा जाता है। आदेश पारित एवं उद्घोषित।"
- 10. That the present appellant questioned the correctness of the said order before learned Single Judge. Learned Single Judge in

seisen with the sole controversy as regard to residential status of respondent No.6 upheld the view taken by the Additional Commissioner. Learned Single Judge found:

"The only question which arises for consideration in this writ petition is whether respondent No.6 Smt.Sita Devi is resident of Gram Panchayat Lohadwar of Tahsil Raipurkarchulian or of the village Kanji of Janpad Panchayat Sirmour. As per the policy of the State Government dated 10.7.2007, the ration card, the current Voter list and the current B.P.L list are the documents, which are to be considered as proof of the residence. The final list was prepared on 17.2.2010, therefore, for the proof of residence, the current voter list of the year 2009-10 is to be taken into consideration for deciding the place of residence of respondent No.6. If the said documents are not available only then the certificate issued by the Tahsildar can be considered for deciding the residence. The Collector by passing the impugned order has considered the voter list of the year 2009 in which the names of Kamlesh Kumar and Smt.Sita Devi have been shown at Serial Nos.1683 & 1684 in house of 12/2/kha and 12/2/kha and also considered the voter list of the year 2004 and the name is at Serial No.213. The voter list of the year 2004 is not relevant and the same could not have been considered. However, the voter list of the year 2009 which has been considered is relevant and in that voter list the name of the respondent No.6 Smt.Sita Devi is shown to be resident of Khadda of Vikaskhand Sirmour. In the appeal before the Collector, the respondents had relied upon the certificate of the Tahsildar for residence and it was submitted that his name from voter list of Kanji has been deleted and the name has been included in the voter list of Gram Panchayat Lohadwar of Tahsil Raipurkarchulian, District Rewa.

The respondents had filed a voter list of Gram Panchayat Lohadwar of Tahsil Raipurkarchulian,

District Rewa of the year 2004 in Ward No.14, the name of respondent No.6 Smt.Sita Devi is reflected. The voter list is of the year 2004, therefore, the same cannot be considered as per the policy of the State Government current voter list i.e. on the date of consideration of the application is to be considered. The name of respondent No.6 Smt.Sita Devi was deleted from the voter list in the year 2008. Another voter list has been filed of the year 2010 and it was dated 1.1.2010 in which the name of respondent No.6 Smt.Sita Devi is shown at Serial No.729 as resident of Gram Panchayat Lohadwar of Tahsil Raipurkarchulian, District Rewa. In the year 2009, the name of respondent No.6 Smt.Sita Devi has been deleted from the voter list of Khadda of Janpad Panchayat Sirmour.

As the current voter list of the year 2010 is available on record and as per the current voter list of the year 2010, the name of respondent No.6 Smt.Sita Devi is included in the voter list of Gram Panchayat Lohadwar of Tahsil Raipurkarchulian, District Rewa, therefore, the said document could be relied upon as per the policy of the State Government. The Collector has committed an error of law in not considering the current voter list and relied upon the voter list of the previous year i.e. of the year 2004. The Commissioner has also committed an error of law in relying on the affidavits which were not parts of record.

In view of the aforesaid discussion, this writ petition filed by the petitioner is dismissed. It is held that the respondent No.6 Smt.Sita Devi is resident of Gram Panchayat Lohadwar of Tahsil Raipurkarchulian, District Rewa as per the current voter list, which is the document of proof of the residence as per the policy of the State Government dated 10.7.2007. The matter is sent back to the respondent No.4-Project Officer, Integrated Child Development Scheme Raipurkarchulian and respondent No.5-District Program Officer, Women & Child Development, Rewa to pass appointment order in favour of respondent No.6 Smt. Sita Devi."

- 11. After hearing respective parties, the only question as was formulated by the learned Single Judge is as to whether respondent No.6 on the date when the application for appointment was filed i.e. before 17.08.2009 was a resident of Lohadwar as would entitle her for appointment as Anganwadi Worker.
- 12. One of the criteria laid down in the Policy for being eligible to be appointed as Anganwadi Worker is that the incumbent must be permanent resident of village/Urban Ward having her name in the Voter List/BPL List (in case of married woman, the name of her husband in the BPL list). In absence of these 2 credentials, a certificate of bonafide resident issued by Sub-Divisional Officer/Tehsildar.
- 13. In the case at hand, reliance is placed by the respondent No.6 on the Voter List of 2004 and 2010; bonafide resident certificate which was issued on 07.03.2007 and BPL Card which though was issued on 12.08.2009 but on the basis of survey list of 2002-2003.
- 14. The requirement of the policy was that the name of incumbent must be in the voter list in a close proximity of the last date of filing the application. In the instant case the voter list of 2009 will be relevant.

- 15. In the case at hand, the voter list of Gram Panchayat Khadda issued in the year 2009 was filed by the present appellant to establish that respondent No.6 was recorded as voter in village Khadda and not village Lohadwar. The extract whereof was brought on record in Writ Petition as Annexure P/5 and is presently at page 64 and 65 of the compilation, wherefrom, it is seen that the name of respondent No.6 and her husband is at serial No.1683 and 1684:12/2/ख in Gram Panchayat Khadda.
- 16. Though a cavil is raised on behalf of respondent No.6 on the basis of voter list at pages No.123 to 132 of the compilation, however, it is found that the list at page 123 is that of 2008 relating to Assembly Elections of village Lohadwar where the name of respondent No.6 and her husband is at serial No.215 and 218 is found deleted which has been shown to be restored in the Assembly Election which is evident from the extract at page 124. The said inclusion, however, is of no assistance to the respondent No.6 as the list relates to Legislative Assembly Election of 2008. A reference to the extract at page No.125 is also of no assistance because a supplementary list of Gram Panchayat Khadda, Block Sirmour issued in the year 2009 which is brought at page 128 and 129 of the compilation establishes that the name of respondent No.6 was

shown to be deleted from Village Kanji, Tehsil Sirmour, Rewa District. For ready reference it is extracted below:

## 3) विलोपन

मूल	वार्ड	ग्राम	गृह क्र. (यदि हा)	मतदाता का			आयु
सूची का क्र.	क्र.		(याद हा)	नाम	का नाम	महिला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1684	17	कंजी	12/2 ख	सीतादवी	कमलेश	म.	27
					कुमार		

- **17.** Furthermore, the reliance placed on the list of Assembly Elections of 2010, in our considered opinion, is of no relevance because the last dated for applying to the post was 17.08.2009.
- 18. The respondent No.6 has further relied on the Niwas Praman (Bonafide Resident Certificate) issued by Raipurkarchuliyan, District Rewa, the certificate, as evident therefrom has been issued on 07.03.2007, whereby, respondent No.6 is shown to be a resident of village Lohadwar, however, with the change of resident of respondent No.6, as is evident from the voter list, the said certificate issued on 07.03.2007 will be of no assistance to respondent No.6. Further reliance is placed by respondent No.6 on BPL Card which though is issued on 12.08.2009, filed by respondent No.6 as Annexure R/6-2, presently brought on record at page 116 of the compilation reveals that it has been issued on the basis of the survey list 2002-2003 which also, in our considered opinion, will be of no assistance to respondent No.6. It is further

borne out from record that the Project Officer after receiving objection had taken recourse to an inquiry by Tehsildar Raipurkarchuliyan, District Rewa.

19. As regard to the residential status of respondent No.6, a report was submitted to the Project Officer on 12.03.2010 which is prepared by Tehsildar, Raipurkarchuliyan, District Rewa after affording opportunity of hearing to the respondent No.6 as well as the present appellant. The report is reproduced in its entirety which establishes that respondent No.6, on the date when she filed application for appointment to the post of Anganwadi Worker, was not the resident of village Lohadwar.

''कार्यालय तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 कमांक. /प्रवाचक/2010 रायपुर कर्चु.दिनांक 12/3/2010

प्रति,

परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म०प्र0

विषयः आ0वा0केन्द्र लोहदवार में चयनित आवेदिका श्रीमित सीता देवी मिश्रा पति श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा निवासी सम्बन्धी अभिलेख की जान कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्र क्रं० ३१० / म०वा०वि० / स्था. / २०१० रायपुर कर्च्.दिनांक २५.०२.२०१०.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्रीमित रेखा सिंह के आवेदन पत्र संलग्न प्राप्त जिसमें श्रीमित रेखा सिंह द्वारा आपित्त के साथ श्रीमित सीता देवी पित श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम लोहदवार के निवासी नहीं है बिल्क ग्राम पंचायत खड्डा तहसील सिरमोर की निवासी है संलग्न दस्तावेज प्राप्त हैं। श्रीमित

सीता देवी पत्नी श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम लोहदवार के निवास सम्बंधी जांच कराया जाकर प्रतिवेदन हेतु पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्राप्त हुआ है।

श्रीमित रेखा सिंह आपित्तिकर्ता एवं आवेदिका श्रीमित सीता देवी की न्यायालय में तगब किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। आवेदिका श्रीमित सीता देवी पित श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा न्यायालय में उपस्थित हो जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदिका सीतादेवी के पित, ससुर, दादा ससुर एवं उनके पिता के पिता यानी पुस्तैनी निवास के चले आ रहे है। पित व पिता ससुर के नाम राजस्व अभिलेख तथा भारत सरकार द्वारा जारी निर्वाचन कार्ड जाब कार्ड निवारी प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लोहदवार का प्रमाणित गरीबी रेखा का कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम आवेदिका के पित द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का दस्तावेज आग बुझाते समय कुवे में गिर गये है। रिकार्डा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका द्वारा शिकायत निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

शिकायतकर्ता श्रीमित रेखा सिंह पत्नी श्री उमेश सिंह निवासी लोहदवार द्वारा कार्यालय में नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया साथ ही दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

श्रीमित सीता देवी पत्नी श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा मूलतः ग्राम लोहदवार की निवासी नही है। बल्कि कंजी की निवासी है तथा ग्राम पंचायत खडडा तहसील सिरमोर वर्तमान तहसील सेमरिया के अन्तर्गत आता है।

गलत तौर पर निवास प्रमाण—पत्र बनवाया गया एवं गलत तौर पर मतदाता सूची लोहदवार में नाम जोडवाया गया है। जन सुनवाई उपरान्त उसका नाम निरसित हो चुका था जो विधान सभा क्षेत्र के नाम लोहदवार के निर्वाचन नामवली वर्ष 2008 में विलोपित था और 2009 की सूची में भी नाम दर्ज नहीं है।

ग्राम पंचायत खडडा मतदाता सूची के सरल क्रमांक 1807 में पित का 1813 में पत्नी सीतादेवी का नाम अंकित है एवं मकान न. 12 पर नाम अंकित है। मतदात सूची की प्रति प्रस्तुत की गई है। वर्ष २००९ के मतदाता सूची कमाक 1683 मकान न.12/२ख में पति एवं 1684 मकान न.12/२ख में अंकित है।

श्रीमित सीता देवी व उनके पित कमलेश का नाम ग्राम पंचायत खड्डा एवं राष्टीय रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम के अधीन जॉच कराई के अनुसार हटा दी गई व्यवस्था के अनुसार क.सं. 307 व 308 में अंकित है ।

परिवारों की पहचान एवं गणना वर्ष 2003 के कृ.102 परिवार कृ.108 मकान कृ.99/2 में अंकित है जो ग्राम पंचायत खड्डा के तहत सिरमौर में दर्ज है ।

सरपंच ग्राम पंचायत लोहदवार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें श्रीमित सीतादेवी पित कमलेश प्रसाद निवासी लोहदवार तहसील रायपुर के निवासी नहीं है इनके चाचा ससुर आयोध्या प्रसाद तेरह चौदह वर्ष पूर्व रहते थे किन्तु वहाँ का मकान का मकान गिराकर ग्राम कंजी के ग्राम पंचायत खड्डा तहसील सिरमौर वर्तमान तहसील सेमिरया के अन्तर्गत आता है। तेरह चौदह वर्ष से श्रीमिती सीतादेवी ग्राम कंजी ग्राम पंचायत खड्डा की निवासी है।

राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर कर्चुलियान ने मौके से जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 8.3.2010 को ग्राम लोहदवार में सीता देवी पित कमलेश प्रसाद मिश्रा निवासी सम्बन्धी जांच किया गया मैके से सील पंचनामा तस्दीक किये जाने पर व्यक्तियों के बताये अनुसार सीता देवी पित कमलेश मिश्रा के बाबा ससुर श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा 15 वर्ष पूर्व इस ग्राम में मकान बनाकर रहते थे। किन्तु अब ग्राम कंजी ग्राम पंचायत खडडा तहसील सिरमोर में रहते है अब सीता देवी पित कमलेश प्रसाद मिश्रा का मकान ग्रम लोहदवार में नहीं है प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

शिकायत पत्र का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि राजस्व निरीक्षक रायपुर कर्चु. एवं सरपंच ग्राम पंचायत लोहदवार के प्रतिवेदन अनुसार एवं विधान सभा क्षेत्र गुढ के निर्वाचन नामावली की सूची मकं नाम दर्ज न होना एवं ग्राम पंचायत खडडा के मतदाता सूची के सरल क्र01807 में पित का एवं 1813 में पत्नी श्रीमित सीता देवी पित कमलेश मिश्रा वर्तमान में ग्राम लोहदवार में निवास नहीं कर रहे है एवं ग्राम लोहदवार के निवासी नहीं है।

अतः प्रतिवेदन सादर सम्प्रेशित है।

संलग्नः तहसीलदार

उपरोक्तानुसार तहसील रायपुर कर्चु.जि.रीवा"

- 20. Though Additional Commissioner has discarded the said inquiry report on the ground that one of the person who filed an affidavit had later expressed that it was not his signature, in our considered opinion, the said observation will not cause any dent to the finding which has been recorded by Tehsildar who caused the detailed inquiry and afforded opportunity of hearing to respective parties, before coming to the conclusion that respondent No.6 at the relevant time was not the resident of village Lohadwar.
- **21.** When the impugned order passed by the Additional Commissioner and its affirmation by learned Single Judge is tested on the anvil of above analysis, the same cannot be given the stamp of approval.
- **22.** Consequently, while quashing the order dated 20.01.2011 passed by Additional Commissioner, Rewa Division, Rewa, we setaside the order dated 05.03.2020 passed by learned Single Judge in Writ Petition No. No.1755/2011 and restore the order dated

W.A.No.446/2020

17

18.10.2010 passed by the Collector, Rewa. We also upheld the order dated 25.10.2010; whereby the present appellant was appointed as Anganwadi Worker, Anganwadi Centre Lohadwar, Tehsil Raipurkarchuliyan, District Rewa.

**23.** The appeal is disposed of finally in above terms. No costs.

(Sanjay Yadav) Judge (B.K.Shrivastava) Judge

anand
Digitally signed by
ANAND KRISHNA SEN
Date: 2020.04.30
11:19:54 +05'30'